18/7/17 पत्रा० पेश हुई/ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

पत्रा० [illegible]

[illegible]

सहायक कलक्टर

[illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 125 / 2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018 / 00276
किस्म प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.03.2024

1. जावित्री देवी पत्नि बाबूलाल जाति कोली निवासी पहरसर तह. नदबई

प्रार्थी

बनाम

1. दलवीरसिंह पुत्र श्यामलाल जाति जाटव निवासी गादौली तहसील नदबई

अप्रार्थीगण

उपस्थित श्री बृजेश शर्मा. एड.(प्रार्थी की ओर से)

निर्णय **प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए.**

1. यह है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है। जिसमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा न. 1832 रकवा 0.20, 1850 रकवा 0.38, 1851 रकवा 0.08, 1860 रकवा 0.85, 1897 रकवा 0.49 किता 5 कुल रकवा

18/3/24

2.0 है. वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई सायला व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 की सहखातेदारी की आराजी है जिसे वह मनवट से अपने अपने हिस्साअनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, सायला का आराजी मुतनाजा में 37 / 200 हिस्सा है जिसे उसने प्रतिवादी सं. 4 से रजिस्टर्ड वयनामा खरीद किया है और मनवट से खसरा न. 1850 रकवा 0.38 पर अपने हिस्सा अनुसार काबिज है और काश्त करती चली आ रही है।

3. यह कि समस्त आराजी मुतनाजा अविभाजित है जिसका कानूनी विभाजन नहीं हुआ है यद्यपि सायला व प्रतिवादीगण सभी आराजी मुतनाजा को मनवट से अपने हिस्सा अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं परन्तु अब मनवट से प्राप्त सायला के हिस्से की आराजी पर गैरसायल बिना किसी अधिकार के जबरन अतिक्रमण करने मेंढ आदि तोडने के कारण शामिल काश्त करना संभव नहीं रहा है और कानूनी विभाजन किया जाना आवश्यक हो गया है ताकि सायला मनवट से प्राप्त अपने हिस्सा की आराजी खसरा न. 1850 का विभाजन कर अतिक्रमण व मेंढ तोडने से निजात पा सके।

4. यह कि गैरसायल ने सायला के हिस्से की आराजी पर अतिचार करने की धमकी दिनांक 15.08.2018 को व इससे पूर्व भी निरंतर धमकी दी है जिससे वह गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने की अधिकारिणी है ताकि वह अपनी ओछी हरकतों से वाज आ सके और अतिचार कर मेंढ आदि नहीं तोडे।

5. यह कि प्राईमाफेसी व सुविधा का संतुलन सायला के हक में है।

18/3/24

6. अंत में प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र 212 आरटीए सायला स्वीकार किया जाकर गैरसायल को ताफैसला मुकदमा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह सायला के हिस्से व कब्जे की आराजी खसरा नम्बर 1850 रकवा 0.38 है. वाके पहरसर पर किसी प्रकार की मदाखलत व मजामहत नहीं मेंढ आदि नहीं तोडे व ऐसा कोई कार्य न करे जिससे सायला के हक हकूकों पर जबाल आवे।

7. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किये गये। अप्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

8. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संबत 2075–2078 वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई पेश की गई।

9. प्रार्थीगण के विद्वान वकील की प्रार्थना पत्र 212 आरटीए बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया। प्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के दौरान कहा कि मेरे द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत पेश किया है जिसके साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीए की मद सं. 2 वर्णित आराजी वाके ग्राम पहरसर पर स्थित है, उक्त विवादित आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 की सह खातेदारी की आराजी है, प्रार्थी की आराजी में 37/200 हिस्सा है। जिसे उसने प्रतिवादी स. 4 से रजिस्टर्ड बयनामा खरीद किया है। ओर वह मनवट अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। आराजी का अभी बटवारा नही हुआ है। तथा शामिल काश्त करना सम्भंव नही रहा है। तथा डौर मेंड

18/3/24

को लेकर तनाजा रहता है। अत जब तक कानूनी रूप से विभाजन ना हो जावे तब तक जारी शुदा स्थगन को कन्फर्म किया

10. हमने प्रार्थी के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तो पाया कि :–

1. **<u>पृथमदृष्टया केस</u>**– प्रार्थी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए के तहत विभाजन का पेश किया गया जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित विवादित आराजी खसरा न. 1832 रकवा 0.20, 1850 रकवा 0.38, 1851 रकवा 0.08, 1860 रकवा 0.85, 1897 रकवा 0.49, कुल किता 5 कुल क्षेत्रफल 2.00 है. वाके ग्राम पहरसर तहसील नदबई में स्थित है। उक्त आराजी पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी का अंकन हो रहा है। उक्त विवादित आराजी का अभी कानूनी रूप से अभी विभाजन नही हुआ है। तथा मौके पर मनवट अनुसार हिस्से अनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आराजी का जब तक कानूनी रूप से विभाजन नही हो जाता है तब तक प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर अपना हिस्सा व हक निहित होता है। जब तक विवादित आराजी की वाद विषयवस्तु को सुरक्षित रखना आवश्यक है। इस प्रकार प्राईमाफेसी केस प्रार्थी के हक में साबित में बखूबी साबित है।

2. **<u>सुविधा का सतुलन</u>** – पृथमदृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण एवं वादी सहखातेदार होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के हक में साबित है।

18/3/24

3. <u>अपूर्ण क्षति</u> – अगर उक्त स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो विवादित आराजी का खुर्दबुर्द रहने का अंदेशा रहेगा तथा वाद कि विषय वस्तु में परिवर्तन तो जो एक अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः उक्त बिंदुवार निर्णय के अनुसार प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्ण क्षति भी प्रार्थीगण के हक में बखूबी साबित है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा जारीशुदा स्थगन आदेश दिनांक 23.08.2018 ताफैसला इस आशय के कन्फर्मन किया जाता है कि विवादित आराजी ख. न. 1850 रकवा 0.38 है. के प्रार्थी के हिस्से तक मदाखलत मजाहमद ना करें तथा डौर मेंड़ ना तोडे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.24 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

18/3/24

(गगांधर मीना)

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर,नदबई